

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) बायत..... मुकाम.....

..... अचलाराम कारा बनाम शंभाराम कारा .....

किसम मुकदमा नं० 111,128 RLRACT नं. 245/21 सन् 2021 .....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19/08/21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री किशनाराम एड०</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRACT</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/09/21 को पेश हो।</p>	
29/09/21	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थी</p> <p>जवाब के नोटिस तामिल खुदा प्राप्त</p> <p>जिसे तामिल पत्रावली विद्या गया।</p> <p>विप्रार्थीजिण बाकसुड तामिल कतुउपस्थित।</p> <p>व्याजालय समय लेन वार आवज</p> <p>लगाई गई कालिय आवज 5.45</p> <p>PM पर लगाई गई विप्रार्थीजिण स्वयं</p> <p>या उनही मोर ले कोई अधिवक्ता</p> <p>उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थी</p> <p>जवाब के विरुद्ध एडतरफा डायरवाही</p> <p>समल में सई जाली है प्रार्थी के</p> <p>अधिवक्ता ही एडपस्थित वदम सुनी</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO)</p> <p>बायत</p> <p>जिला - बायत</p>

सहायक कलक्टर (SDO)

बायत

जिला - बायत

गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन  
 विभा गंगा ही प्रार्थी व विपक्षियों के  
 प्वालेली खेत सेठ सेठ काये हुए है  
 प्रार्थी व विपक्षियों के खेतों के मध्य  
 जो पुरानी आड़े व डूने आये हुए थे जो  
 परमान से प्राधिकारों ही वजह से विचार  
 गये है। जिससे प्रार्थी के अपने खेत के सेठों  
 का सही ज्ञान नहीं है या रहा है प्रार्थी  
 व विपक्षियों के मध्य खेत के सेठों के लेख  
 हमेशा तनाजा बना रहला है। प्रार्थी का अपने  
 खेत के सेठों का सही ज्ञान करने हेतु नैजमवली  
 डरवानी कावश्यक है। बसलिये प्रार्थी का नैजमवली  
 कावेदन स्वीकार किया जाइए नैजमवली कावेदन  
 किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर  
 प्रार्थी का नैजमवली कावेदन स्वीकार किया  
 जाइए तदनुसार बाण्डु को डमिशन व सन्वित भू  
 अभिलेख निरीक्षण को सहायक डमिशनर नियुक्त किया  
 जाइए किसे किया जाता है कि नियुक्त या सहायक  
 डमिशनर से प्रार्थी के प्वालेली खेतों की पन्ही  
 नैजमवली मोडे पर डमिशनर शुल्क जमा कराइए इतने  
 पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली ही  
 पत्रावली फॉर्मल शुआ होइए इतने जम्मा से इतने  
 दाखिल दमल ही।

(सहायक कलेक्टर)  
 (SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2021/1208  
राजस्व आवेदन संख्या - 245/2021

दिनांक:- 29/9/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अचलाराम पुत्र मेराजराम वगैरा 10 जाति मेघवाल, निवासी लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु(बाडमेर)		1. धर्माराम पुत्र हिमथाराम वगैरा 35 जाति मेघवाल, नि. लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु(बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा -लापला, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 524 रकबा 0.1375 हैक्टर, खसरा नम्बर 525 रकबा 17.6362 हैक्टर, 614 रकबा 8.6887 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बन्धित भू. अ. नि. को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) बायतु

दिनांक:- 29/9/2021

- 1 तहसीलदार बायतु
- 2 पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
- 3 प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र मेराजराम वगैरा. 10
- 4 विप्रार्थी श्री धर्माराम पुत्र हिमथाराम वगैरा वगैरा. 35
- 5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) बायतु